"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2013— पौष 21, शक 1934

# भाग 3 (1)

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दिव्या नेमा ध. प. श्री लक्ष्मीनारायण नेमा, आयु 47 वर्ष, निवासी- मकान नं. 172, आर्य नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मेरी जन्मतिथि 01-04-1965 है, वर्तमान में मैं शा. महाविद्यालय, धमधा में सहा. प्राध्यापक (केमेस्ट्री) के पद पर कार्यरत हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं कु. दुर्गा नेमा पिता श्री नन्हेलाल नेमा के नाम से जानी, पहचानी जाती थी तथा समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य अभिलेखों में यही नाम अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 15-12-1990 को श्री लक्ष्मीनारायण नेमा के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती दिव्या नेमा ध. प. श्री लक्ष्मीनारायण नेमा रख ली तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती दिव्या नेमा पति श्री लक्ष्मीनारायण नेमा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| कु. दुर्गा नेमा<br>पिता- श्री नन्हेलाल नेमा<br>निवासी-मकान नं.-172<br>आर्य नगर, दुर्ग<br>तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) | श्रीमती दिव्या नेमा<br>पति- श्री लक्ष्मीनारायण नेमा<br>निवासी-मकान नं.-172<br>आर्य नगर, दुर्ग<br>तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पी. एम. थम्पी (P. M. THAMPI), पिता स्व. श्री मथाई (LATE MATHAI), आयु 51 वर्ष, निवासी- एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, एल. आई. जी.-2503 औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग) का हूं. मैं सी. आई. ए. प्राइवेट कंपनी में पदस्थ हूं, मेरा सी. पी. एफ. खाता नं. 903374 है. यह कि मेरे सी. पी. एफ. रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश थम्पी मथाई ( THAMBI MATHAI) दर्ज हो गया है, को सुधार कर सही नाम पी. एम. थम्पी (P. M. THAMPI) अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से मुझे पी. एम. थम्पी (P. M. THAMPI) पिता स्व. श्री मथाई (LATE MATHAI) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| थम्पी मथाई<br>( THAMBI MATHAI)<br>पिता- स्व. श्री मथाई<br>(LATE MATHAI)<br>निवासी-एम. पी. हाऊसिंग बोर्ड<br>एल. आई. जी. 2503<br>औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई<br>तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) | पी. एम. थम्पी<br>( P. M. THAMPI )<br>पिता- स्व. श्री मथाई<br>(LATE MATHAI)<br>निवासी-एम. पी. हाऊसिंग बोर्ड<br>एल. आई. जी. 2503<br>औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई<br>तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, यंकट राव पिता श्री फागु, आयु 58 वर्ष, निवासी- कोसा नगर, एस. ए. एफ. लाईन, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग) का हूं. वर्तमान में मैं भिलाई स्टील प्लांट में सेवारत हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश वेंकट राव व एंकट राव दर्ज हो गया है, को सुधार कर सही व पूरा नाम नाम यंकट राव पिता श्री फागु दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से मुझे यंकट राव पिता श्री फागु के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| वेंकट राव, एंकट राव<br>पिता- श्री फागु<br>निवासी-कोसा नगर<br>एस. ए. एफ. लाईन, भिलाई<br>तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) | यंकट राव<br>पिता- श्री फागु<br>निवासी-कोसा नगर<br>एस. ए. एफ. लाईन, भिलाई<br>तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती झरणा मिश्रा ध. प. श्री ईश्वर मिश्रा, आयु-32 वर्ष, जाति-ब्राम्हण, निवासी- मकान नं. 57, फेस-04, गोगिविला मैत्री नगर, रिसाली, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मेरी जन्मतिथि 02-06-1980 है, यह कि विवाह पूर्व मैं कु. झरणा दाश पिता हरेकृष्ण दाश माता कमलीनी दाश के नाम से जानी, पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 17-04-2006 को श्री ईश्वर मिश्रा पिता श्री प्रभाकर मिश्रा के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती झरणा मिश्रा पति श्री ईश्वर मिश्रा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती झरणा मिश्रा पति श्री ईश्वर मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
| --- | --- |
| कु. झरणा दाश<br>(KU. JHARANA DASH)<br>पिता- श्री हरेकृष्ण दाश<br>निवासी-कारन्दा<br>थाना-रासोल<br>जिला-ढेंका नाल, उड़िसा | श्रीमती झरणा मिश्रा<br>(SMT. JHARANA MISHRA)<br>पति-श्री ईश्वर मिश्रा<br>निवासी-मकान नं.-57<br>फेस-04, गोगिविला<br>मैत्री नगर, रिसाली, भिलाई<br>तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) |

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सरिता टेकाम पति डॉ. शारदा प्रताप टेकाम, उम्र-33 वर्ष, निवासी- एम. आई. जी.-72, शंकर नगर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं कु. सरिता परिहार पिता सदानंद परिहार, निवासी-परिहार निवास, नवजीवन सोसायटी, पचपेढ़ी नाका, रायपुर के नाम से जानी, पहचानी जाती थी तथा उक्त नाम से ही मैने अपनी सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त की है व समस्त दस्तावेजों में यही नाम अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 11-02-2010 को श्री शारदा प्रताप पिता स्व. विजय सिंह टेकाम के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती सरिता टेकाम पति डॉ. शारदा प्रताप टेकाम रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती सरिता टेकाम पति डॉ. शारदा प्रताप टेकाम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
| --- | --- |
| कु. सरिता परिहार<br>पिता- श्री सदानंद परिहार<br>निवासी-परिहार निवास<br>नवजीवन सोसायटी<br>पचपेढ़ी नाका<br>रायपुर (छ. ग.) | श्रीमती सरिता टेकाम<br>पति-डॉ. शारदा प्रताप टेकाम<br>निवासी-एम. आई. जी.-72<br>शंकर नगर, रायपुर (छ. ग.) |

# विविध

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/विधि/2012/1409.— छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी साख समिति मार्या., वैशाली नगर भिलाई, पंजीयन क्रमांक 3001, दिनांक 26-06-2012 विकासखण्ड एवं जिला दुर्ग, के संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत इस कार्यालय से दिये गये कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपंदु/विधि/2012/1348 दुर्ग, दिनांक 26-11-2012 के प्रबंध में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 03-12-2012 एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 05-12-2012 नियत की गई थी. संस्था अध्यक्ष द्वारा इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 03-12-2012 को एक आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 06-12-2012 तक अवसर चाहा न्यायहित में संस्था को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया, किन्तु निर्धारित तिथि एवं समयावधि में वांछित प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ और ना ही अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के आरोपों के अनुरूप कार्य कर रही है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/01, दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत प्रयोग में लाते हुए श्री पी. के. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 10-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
सहायक पंजीयक.

---

### कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 06 दिसम्बर 2012

क्रमांक/परिस./2012/1017.— श्री लक्ष्मी कासा बुनकर सह. समिति मर्या., उमरेली, पंजीयन क्रमांक 3129, दिनांक 11-01-84 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक .......................... दिनांक .................. द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ /5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं विनोद कुमार बुनकर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा श्री लक्ष्मी कोसा बुनकर सह. स. मर्या., उमरेली को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री के. बी. वारे, सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्रमांक/परिस./2012/1025.— कोयलांचल ईधन पूर्ति सह. समिति मर्या., ढेलवाडीह बांकीमोंगरा, पंजीयन क्रमांक 91, दिनांक 13-11-06 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक .......................... दिनांक .................. द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ /5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं विनोद कुमार बुनकर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा कोयलांचल ईधनपूर्ति सह. स. मर्या., ढेलवाडीह बांकीमोंगरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्रमांक/परिस./2012/1026.— विपणन सहकारी समिति मर्या., कोरबा, पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 06-02-73 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक............. दिनांक .................. द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ /5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं विनोद कुमार बुनकर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा विपणन सहकारी समिति मर्या., कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्रमांक/परिस./2012/1027.— विद्युत कर्मचारी गृह निर्माण सह. स. मर्या., कोरबा, पंजीयन क्रमांक 6?, दिनाक 14-01-05 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक............. दिनांक .................. द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ /5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं विनोद कुमार बुनकर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा विद्युत कर्मचारी गृह निर्माण सह. स. मर्या., कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री के. बी. वारे, सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्रमांक/परिस./2012/1028.— कोयलांचल गृह निर्माण सह. समिति मर्या., कोरबा, पंजीयन क्रमांक 98, दिनांक 16-03-07 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक............. दिनांक .................. द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ /5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं विनोद कुमार बुनकर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा कोयलांचल गृह निर्माण सह. समिति मर्या., कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

**विनोद कुमार बुनकर,**
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.